25-1-22 आज यह पत्रावली पंजीकृत
स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व
आदेशिका अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17-2-22
को पेश हो।

17.2.22 आज पत्रावली पेश हुई वादी
के वकील अनुपस्थित। वादी
के वकील द्वारा उपस्थित नहीं आये
इस से प्रतीत होता है कि वादी वाद
चलाना ही नहीं चाहते हैं अतः वादी
का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत
खारिज किया जाता है। पक्षकार पोस्टल खर्चा होने
पर कम हो वाद मुक्ति सहित
खारिज हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2022.04.05 16:11:11 IST
Reason: SelfAttested